आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,अरवल

बिहार भूमि विवाद निराकरण वाद संख्या 24/15–16

हरिहर राम वनाम् रामाकान्त राम

आदेश

24.06.15
30.06.15

आवेदक हरिहर राम पिता स्व० गुंजन राम साकिन–पुरान,थाना–करपी,जिला–अरवल ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से वाद दायर कर विवादित भूमि पर अधिकारों का प्रख्यापन करने, एवं अवैध अनाधिकृत बेदखली को रोकने तथा दखल कब्जा दिलाने का अनुरोध किया है। विवादित भूमि जो ग्राम–पुराण,थाना–करपी, जिला–अरवल में अवस्थित है निम्न है:–.

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
40	2910 व 2912 जानिब पुरब तरफ	$2\frac{1}{2}$ डी०	उतर–सतेन्द्र सिंह,दक्षिण–रामवली पासवान,पूरब–गली, पश्चिम–द्वितीय पक्ष

वाद की प्रविष्टी की गई। विपक्षी की उपस्थिति हेतु प्राधिकार से नोटिस निर्गत किया गया। विपक्षी उपस्थित हुए एवं जबाब दाखिल किया गया परन्तु उनके द्वारा बहस में हिस्सा नहीं लिया गया। बहस हेतु उन्हें समुचित अवसर प्रदान किया गया, परन्तु वे अनुपस्थित रहे और वाद की एकपक्षीय सुनवाई की गई।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:–

(1) विवादित भूमि की कुल रकवा 5 डी० में $2\frac{1}{2}$ डी० आवेदक को अपने बड़े भाई बच्चु राम से हिस्से में प्राप्त भूमि है।

(2) उपरोक्त वर्णित $2\frac{1}{2}$ डी० भूमि आवेदक के बड़े भाई प्रतिवादी को वसीयत कर दिये है तथा शेष भूमि आवेदक का है।

(3) विवादित भूमि वेलगान है।

(4) विपक्षी आवेदक के हिस्से पर बल पूर्वक मकान निर्माण करने हेतु दावा खोद रहे है और मकान बनाने का सामग्री गिराये हुए है।

(5) प्रतिवादी को मकान बनाने से रोका गया तो मारपीट करने लगें।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में माँगे गये अनुतोष को स्वीकृत करने का अनुरोध आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने किया है।

विपक्षीगण द्वारा दाखिल आपति का अवलोकन किया गया। विपक्षीगण का कहना है कि विवादित भूमि को बच्चू राम ने दिनांक 21.02.1961 को नवलाख सिंह से क्रय किया गया था। परन्तु उनके द्वारा 29.10.2013 एवं 01.09.2014 को दो केवालाओं के द्वारा $2\frac{1}{2} - 2\frac{1}{2}$ डी० भूमि विन्दा देवी पति रामाकान्त राम के द्वारा बिक्री किया जा चुका है।

जब विवादित भूमि को बिक्री आवेदक के बड़े भाई बच्चू राम के द्वारा पूर्व में ही विन्दा देवी पति रामाकान्त राम को किया जा चुका है, और आवेदक द्वारा बच्चू राम की भूमि पर ही दावा किया जा रहा है, तो उक्त परिस्थिति में आवेदक के अनुतोष को स्वीकृत नहीं किया जा सकता है, वाद को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

30.12

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।

30.12

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।